"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2022—भाद्रपद 11, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 जुलाई 2022

क्रमांक ई 1-15/2017/एक-2.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 154/CGH/2022-P.Admn, दिनांक 07-07-2022 द्वारा प्राप्त सहमति के तारतम्य में श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के अवकाश अवधि में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (2006), संचालक, आयुष को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

विभागीय आदेश दिनांक 25-02-2022 द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के कार्य संपादन हेतु सौंपे कार्यभार से कार्यमुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

3. श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003) अवकाश से लौटने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 7-13/2022/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 75(1), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 25 (1), 27, 28, 29, 30, 33, 33-क, 36, 37, 77 एवं 79 के अंतर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ में विहित शक्तियों को अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 के अनुसार प्रदेश के 09 जिलों के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा एवं धमतरी के क्षेत्राधिकार में शामिल निम्नांकित नगर पालिक निगमों को उनके सीमाओं के अंतर्गत कतिपय शर्तों के साथ अधिनियम के अंतर्गत ऊपर उल्लेखित धाराओं में विहित अधिकार आगामी आदेश तक प्रत्यायोजित करता है :—

1 आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	2 आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिरगांव.
3 आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग.	4 आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई.
5 आयुक्त, नगर पालिक निगम, चरौदा.	6 आयुक्त, नगर पालिक निगम, रिसाली.
7 आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव.	8 आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़.
9 आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर.	10 आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर.
11 आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर.	12 आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा.
13 आयुक्त, नगर पालिक निगम, धमतरी.	

शर्तें :—

1. अनुसूची-1 में प्रत्यायोजित धाराओं का उपयोग छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची-3 में उल्लेखित विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत कार्य संपादन का दायित्व सौंपा जा सकेगा.

2. ले-आऊट अनुमोदन का कार्य तकनीकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ मास्टर प्लान के क्रियान्वयन का अनिवार्य अंग होगा. उक्त कार्य आउट सोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों से कराया जाना उचित नहीं होगा. इस हेतु संबंधित नगर पालिक निगम को टाउन प्लानर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा.

3. विकास अनुज्ञा के अनुमोदन के 01 माह के भीतर समस्त ले-आउट संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा.

4. नगर पालिक निगमों द्वारा उक्त धाराओं के अधीन स्वीकृत की जाने वाली विकास अनुज्ञाओं को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के विभागीय वेबसाईट-www.tcp.cg.gov.in में लगातार अद्यतन करने के साथ-साथ स्वीकृत अनुज्ञाओं की एक प्रति संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा.

5. स्वीकृत अनुज्ञाओं के भौतिक परीक्षण एवं पुनर्विलोकन का अधिकार संचालक नगर तथा ग्राम निवेश/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक के अध्याधीन होगा.

6. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 25(1), 27, 28, 29, 30, 33, 33(क), 36, 37 (1), (2) एवं (6) के अंतर्गत राजस्व/शुल्क/शास्ती राशि अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित मद में जमा कराया जाना होगा.

7. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020 एवं विकास योजना के मापदण्डों के उल्लंघन या अतिक्रमण के लिए संबंधित नगर पालिक निगम जिम्मेदार है एवं इस कार्य के लिए नगर तथा ग्राम निवेश की कोई जवाबदेही नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 2-3/2004/19/स्था.-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(3) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 13 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

No. F 2-3/2004/19/स्था.-3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2016, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For entry (3) of column (5) of serial number 10 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—
"(3) One year diploma/certificate in data enty operator/programming from any recognized Institute and certificate of Hindi or English typing 5000 (key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken)."

2. For entry (3) of column (5) of serial number 11 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(3) Certificate of Hindi or English typing 5000 (key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken)."

3. For entry (2) of column (5) of serial number 13 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(2) One year diploma/certificate in data enty operator/programming from any recognized Institute and certificate of Hindi and English typing 8000 (key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken)".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 5-27/2020/26.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08-04-2021 द्वारा पेट्रोल चहित टू व्हीलर, स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) प्रदाय योजना हेतु प्रसारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, सर्वसंबंधितों को कोई भी कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक नहीं किये जाने हेतु निर्देशित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरीशंकर शर्मा, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2022

क्रमांक/4837/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र./5923/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, प्रदेश के राईस मिलरों द्वारा प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए उपयोग में लाने हेतु मंडियों के माध्यम से क्रय की गई धान पर, प्रति 100 रुपये के मूल्य पर 1 रुपये की दर से मंडी शुल्क तथा 1 रुपये की दर से कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित करती है तथा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण/विनिर्माण के लिए लाये गये धान पर भी, प्रति 100 रु. के मूल्य पर 0.50 रुपये की दर से मंडी शुल्क तथा 0.50 रुपये की दर से कृषक कल्याण शुल्क निर्धारित करती है.

यह अधिसूचना, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2022

क्रमांक/4837/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4837/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर दिनांक 29-07-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar 29th July 2022

No./4837/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, fixes the Market Fees at the rate of Rs. 1 and Farmar Welfare Fee at the rate of Rs. 1 on the value of per Rs. 100 on paddy purchased through Mandis to be used by the Rice Millars of the State for processing/manufacturing, and also fixes the market Fee at the rate of Rs. 0.50 and Farmer Welfare Fees at the rate of Rs. 0.50 on the value of per Rs. 100 on paddy brought from outside the State for Processing/Manufacturing, by making partly amendment in this department's Notification No./5923/D-15/116/Part-2/2004/14-2, dated 30th November, 2021.

This Notification shall be effiective from 1st April, 2022 to 31st March, 2023.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 मार्च 2022

क्रमांक 953/एफ-20/01/2021/13/2.—यतः राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस एवं नागरिकों एवं व्यापार में विभिन्न अनुपालन भार (Burden) को कम करने हेतु छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 में संशोधन किया जाना समीचीन है ताकि अनुपालन भार को कम कर, नागरिक सेवाएं प्राप्त करने और व्यापार के लिए अनुकुल वातावारण सुनिश्चित करने के प्रयास में आसानी हो सके.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 9 (2) (ड.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 7 (II) के प्रपत्र "एच" तथा "जे" को विलोपित किये जाने हेतु उक्त नियम में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

"7 (दो) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्ररूप "एच", "जे" तथा "के" में एक विवरणी 15 दिन तक, जो उक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् दूसरे माह के 15वें दिन के पश्चात् न हो" के स्थान पर "7 (दो) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्ररूप "के" में एक विवरणी 15 दिन तक, जो उक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् दूसरे माह के 15वें दिन के पश्चात् न हो" प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/09/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बेलजोरा (मुख्यनहर) प.ह.नं. 09	8.836	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	बेलजोरा जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/10/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	धरमपुर (मुख्यनहर) प.ह.नं. 10	2.949	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	बेलजोरा जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/11/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बगडोली (डुबान) प.ह.नं. 21	14.980	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रजपुरी जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/12/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	रजपुरी (डुबान) प.ह.नं. 04	5.602	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रजपुरी जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/13/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	जामढोढी (स्पील) प.ह.नं. 16	17.328	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	कोटछाल जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/14/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	जामढोढी (स्पील) प.ह.नं. 16	5.890	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	कोटछाल जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/15/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	हर्रामार (डुबान) प.ह.नं. 16	16.360	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	कोटछाल जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 मई 2022

रा. प्र. क्रमांक/15/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	हर्रामार (मुख्य नहर एवं उपनहर) प.ह.नं. 16	5.724	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	कोटछाल जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2075.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/2487 दिनांक 04-07-2018 द्वारा श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गरियाबंद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गरियाबंद जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गरियाबंद के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गरियाबंद जिला-गरियाबंद (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री ओम राठौर	अध्यक्ष
2.	श्री सुखचंद बेसरा	उपाध्यक्ष
3.	मोहम्मद जूली मेमन	सदस्य
4.	श्री दीपक पाण्डेय	सदस्य
5.	श्री चन्द्रभूषण चौहान	सदस्य
6.	श्री चन्द्रहास साहू	सदस्य
7.	श्री यशपेन्द्र शाह	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2077.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1768 दिनांक 07-06-2018 द्वारा श्री जयइन्द्र कंवर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि बलौदाबाजार को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री जयइन्द्र कंवर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि बलौदाबाजार के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री तुलसी वर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री सुकालू राम यदु	उपाध्यक्ष
3.	श्री कृपाराम साहू	सदस्य
4.	श्रीमति लक्ष्मी ध्रुव	सदस्य
5.	श्री सुंदरलाल साहू	सदस्य
6.	श्री विरेन्द्र बहादुर कुर्रे	सदस्य
7.	श्री सनत कुमार वर्मा (व्यापारी प्रति.)	सदस्य

रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2022-23/2079.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2017-18/8953 दिनांक 20-02-2018 द्वारा श्री अमित कुमार मोहंती, अनुविभागीय कृषि अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द (छ.ग.) को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भुवनेश यादव, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, श्री अमित कुमार मोहंती, अनुविभागीय कृषि अधिकारी के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द (छ.ग.) की भारसाधक समिति के रूप में नियुक्त करता हूँ —

1.	श्री हीरा बंजारे	अध्यक्ष
2.	श्री गोविंद राम साहू	उपाध्यक्ष
3.	श्री थनवार यादव	सदस्य
4.	श्री गब्बर चन्द्राकर	सदस्य
5.	श्री चमन सिन्हा	सदस्य
6.	श्री आलोक नायक	सदस्य
7.	श्री दीपक साहू	सदस्य

भुवनेश यादव,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 29th June 2022

No. 965/Confdl./2022/II-2-1/2022.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Balaram Sahu, VI Additional District and Sessions Judge.	Raipur	Sakti	Janjgir-Champa	I Additional District and Sessions Judge.
2.	Shri Vinay Kumar Pradhan, V Additional District and Sessions Judge.	Raipur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	Additoinal District and Sessions Judge.
3.	Shri Vinod Kumar Dewangan, Additonal District and Sessions, III F.T.S.C. (POCSO).	Durg	Durg	Durg	V Additional District and Sessions Judge.

Bilaspur, the 29th June 2022

No. 967/Confdl./2022/II-2-1/2022.—The incumbent Judicial Officers of the Court, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in addition to their own duties, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge (3)
1.	District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur)	Special Judge under S.C., & S.T. (P.A.) Act, Baikunthpur
2.	Additional District and Sessions Judge, Baikunthpur.	Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Baikunthpur.

Bilaspur, the 29th June 2022

No. 969/Confdl./2022/I-8-2/2010 (Part-III).—The Labour Judge of the Labour Court, as specified in Column No. (2) of the table below, is, hereby, given additional charge of the Court as mentioned in Column No. (3), in addition to his own duties, until further orders :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Additional Charge (3)
1.	Labour Judge, Labour Court No. 1, Raipur.	Labour Judge, Labour Court No. 2, Raipur.

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.